

22/5/26

पत्रादि- कारी निम्न - पेश की उम्-
कर उम्- पार कारी- व प्रतिपक्ष प्रति. सा। स्थिति
दिना 10/11/26 दिना 10/11/26 दिना 10/11/26
दिना 10/11/26 दिना 10/11/26 दिना 10/11/26

आदेश सुगहर गिह


उपस्थित अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)




G CMS
2023/154

दर्शन सिंह आदि
किस्म मुकदमा:-88-53 आरटीए

बनाम उधम सिंह व अन्य
प्रकरण संख्या:- 261/2023
G/CMS:- 2023/154

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.05.2026	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्राथमिक डिक्री पालना में प्रेषित विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दोनो पक्षो की बहस सुनी गई। दोनो पक्षो द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्ष सहमत है तथा इसी अनुसार खाता विभाजन किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः दावा वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी नं० 1 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा पत्र सं. 6393 दिनांक 23.02.26 से प्रेषित अनुसार वादी को चक 17 एलकेएस प०न० 32/286 (35) कि०न० 16/1/0.228 है० नहरी, 16/2/0.025 है० गै०मु० रास्ता, 17 ता 20/1.012 है० नहरी, 21/0.126 है० नहरी पासा पश्चिम कुल 1.391 है० भूमि का खातेदार कृषक, एवं प्रतिवादी नं० 1 को चक 17 एलकेएस प०न० 32/286 (35) कि०न० 21/0.127 है० नहरी पासा पूर्व, 22 ता 24/0.759 है०, 25/1/0.228 है० नहरी, 25/2/0.025 है० गै०मु०रास्ता कुल 1.139 है० भूमि का खातेदार कृषक, एवं प्रतिवादी नं० 2 को चक 17 एलकेएस प०न० 32/286 (35) कि०न० 11 ता 14/1.012 है० नहरी, 15/1/0.228 है० नहरी, 15/2/0.025 है० गै०मु० रास्ता कुल 1.265 है० भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी खाता विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	




उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़